फाइल सं. 31001/02/2024/ एनसीवीईटी
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय
(राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्)

दिनांक: 26/12/2024

विषय: "अवार्डिंग निकायों द्‌वारा अर्हताओं के अभिग्रहण संबंधी दिशानिर्देश (2024)" की अधिसूचना के संबंध में।

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) को कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीसी) द्‌वारा दिनांक 05 दिसंबर, 2018 को संख्या एसडी-17/113/2017-ई एंड पीडब्लू के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। एक राष्ट्रीय नियामक निकाय के रूप में, एनसीवीईटी मानकों को निर्धारित करने, व्यापक नियमों को विकसित करने और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए जिम्मेदार है।

2. अर्हताओं की अतिरेकता को कम करने और मानकीकृत अर्हताओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए, एनसीवीईटी ने 22 फरवरी, 2022 को अर्हताओं को अभिग्रहण संबंधी दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे। तब से कौशल पारिस्थिति की तंत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जिसमें संशोधित राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की अधिसूचना और मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों की संख्या और प्रकारों में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, हितधारकों ने मौजूदा दिशानिर्देशों को लागू करते समय उनके सामने आने वाले कुछ प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया भी दी थी। इसलिए, अर्हताओं को अभिग्रहण संबंधी उपरोक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा करना आवश्यक हो गया।

3. तदनुसार, अर्हताओं को अभिग्रहण के दिशानिर्देशों को विस्तृत विचार-विमर्श और सार्वजनिक परामर्श के बाद संशोधित किया गया है। इससे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन आएगा, डुप्लिकेट अर्हताओं से बचा जा सकेगा, मानकीकृत अर्हता तक पहुँच बढ़ेगी और मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय द्‌वारा पहले से विकसित एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं को अभिग्रहण, साझा करने और उपयोग करने की

सुविधा के लिए एक तंत्र प्रदान करने का लक्ष्य रखेगा।

4. ये 'अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हताओं के अभिग्रहण संबंधी दिशानिर्देश (2024)' मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हताओं के अभिग्रहण संबंधी **मौजूदा** दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे।

कर्नल संतोष कुमार
निदेशक, एनसीवीईटी

अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हताओं के अभिग्रहण के लिए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
(कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय)
चतुर्थ तल, कौशल भवन, अफ्रीका एवेन्यू, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110023

दिनांक: 26 दिसंबर, 2024

विषय सूची

1. परिभाषाएँ 2

2. दिशानिर्देशों का सिंहावलोकन 2

3. अभिग्रहण को परिभाषित करना 2

4. प्रयोजन तथा उद्देश्य 3

5. दायरा 4

6. शर्तें 5

7. प्रचालन तंत्र 6

8. एनसीवीईटी द्वारा निगरानी 10

अनुबंध I- अर्हता अभिग्रहण के लिए अनुरोध प्रपत्र 1

<u>अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हताओं के अभिग्रहण के लिए दिशानिर्देश</u>

(2024)

1. परिभाषाएं

1.1. अर्हता: इन **दिशानिर्देशों** के प्रयोजन के लिए, **"**अर्हता" शब्द का अर्थ राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ**)** से संरेखित अर्हताएं/स्टैंडअलोन राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस)/माइक्रो क्रेडेंशियल्स (एमसी) या राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मॉड्यूल होगा।

1.2. राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी): राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) राष्ट्रीय **व्यावसायिक** शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) में शामिल, एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च निकाय है। परिषद् द्वारा गठित एनएसक्यूसी में अन्य के अलावा चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के नियामक निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और महानिदेशक प्रशिक्षण (डीजीटी), चुनिंदा एसएसडीएम (रोटेशन द्वारा), चुनिंदा उद्योग संघ, अवार्डिंग निकाय और क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं।

1.3. एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता: राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार विकसित अर्हता, एनएसक्यूएफ द्वारा विधिवत अनुमोदित और विशिष्ट अर्हता कोड सौंपा गया है।

1.4. विकासकर्ता निकाय: विकासकर्ता निकाय एक एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय है, जिसने मूल रूप से अपनाई जाने वाली अर्हता को विकसित किया था और उसी अर्हता को एनएसक्यूएफ के साथ संरेखित किया था।

1.5. अभिग्रहणकर्ता निकाय: अभिग्रहणकर्ता निकाय एक एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय है जो एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता को अपनाता है जिसे एक अलग अवार्डिंग निकाय यानी **विकासकर्ता** निकाय द्वारा विकसित किया जाता है।

2. दिशानिर्देशों का सिंहावलोकन

2.1. इन दिशानिर्देशों को 'अभिग्रहण दिशानिर्देश (2024)' भी कहा जाता है, जो कौशल

पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन लाने के लिए संरचित किया गया हैं और इनका उद्देश्य अर्हता की उपयोगिता और अपनाई गई अर्हताओं को संभालने के लिए अवार्डिंग निकायों की आंतरिक क्षमता के आधार पर मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों द्वारा पहले से विकसित एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं को अभिग्रहण, साझा करने और उपयोग की सुविधा के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।

3. अभिग्रहण को परिभाषित करना

3.1. अभिग्रहण, एनसीवीईटी प्रमाणन के लिए अर्हता प्रदान करने के अधिकार प्राप्त करने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। अभिग्रहण के दिशानिर्देशों के संदर्भ में अर्हता के अभिग्रहण का तात्पर्य एक अवार्डिंग निकाय (विकासकर्ता निकाय) द्वारा विकसित और दूसरे अवार्डिंग निकाय (अभिग्रहण करने वाले निकाय) द्वारा अपनाई गई एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता के अवार्ड करने के अधिकार प्राप्त करना है। ऐसे अधिकारों का अधिग्रहण इन दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध मापदंडों/शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

4. प्रयोजन तथा उद्देश्य

4.1. इन दिशानिर्देशों के माध्यम से अर्हताओं के अभिग्रहण से निम्नलिखित को सक्षम और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा:

4.1.1. अर्हताओं के दोहराव को रोकना: वर्तमान में, कई अर्हताएं अपने नामकरण, एनओएस, सामग्री और अन्य घटकों के संदर्भ में दोहराव वाली पाई जाती हैं, जिससे अर्हताओं, मानकों की बहुलता होती है और पारिस्थिति की तंत्र में अस्पष्टता पैदा होती है। दिशानिर्देश इस तरह के दोहराव को हटाने में सक्षम और सुगम बनाएंगे।

4.1.2. मूल्यांकन और प्रमाणन में एकरूपता और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करते हुए मानकीकृत अर्हताओं तक पहुँच: प्रशिक्षण, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या आदि के संदर्भ में विभिन्न अवार्डिंग निकाय द्वारा समान या समान नौकरी भूमिकाओं/दक्षताओं के लिए कई मानक मानकों की एकरूपता बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनते हैं। ये दिशानिर्देश एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं के लिए समान मानकों के कार्यान्वयन को सक्षम करेंगे।

4.1.3. बढ़ी हुई बाजार विश्वसनीयता: अलग-अलग अवार्डिंग निकाय द्वारा एक ही नौकरी के लिए कई मानकों के कारण बाजार में एनएसक्यूएफ से संरेखित अर्हताओं के लिए

एनसीवीईटी प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता कम हो जाती है क्योंकि नियोक्ता अब एक ही नौकरी के लिए कई प्रमाणपत्रों को समान नहीं मान सकते। अर्हताओं के अभिग्रहण से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक मानकीकृत अर्हता और उसके प्रमाणन का कार्यान्वयन होगा, जिससे अस्पष्टता दूर होगी और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

4.1.4. संसाधनों की मितव्ययिता एवं अनुकूलन: एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं के अभिग्रहण के विकल्प के साथ, समान अर्हताओं को विकसित करने पर खर्च किए जाने वाले प्रयास और संसाधन बहुत कम हो जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल, उत्पादक और त्वरित हो जाएगी।

4.1.5. शिक्षार्थियों को लचीले विकल्पों के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और सुधार: दो या अधिक अवार्डिंग निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली समान अर्हता शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के व्यापक उपलब्ध विकल्पों में से सूचित निर्णय लेने में सक्षम और सुविधाजनक बनाएगी, जिससे विभिन्न अग्रणी अवार्डिंग निकाय द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्ता में निरंतर और सतत सुधार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

4.1.6. राज्यों द्वारा पारंपरिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना: इन दिशानिर्देशों को सक्षम करने के माध्यम से, राज्य बड़ी संख्या में एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं के विकास पर काम करने के बजाय, राज्य की मूल विरासत कौशल और पारंपरिक शिल्प के लिए अर्हता के विकास की दिशा में काम करने और उसे मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो पहले से ही एनक्यूआर पर उपलब्ध हैं।

5. क्षेत्र विस्तार /

5.1. कौन अभिग्रहण कर सकता है?

5.1.1. ये दिशानिर्देश सभी एनसीवीईटी मान्यताप्राप्त अवार्डिंग निकाय को निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं के अभिग्रहण में सक्षम बनाते हैं।

5.1.2. प्रतिनिधित्व: किसी अर्हता को अभिग्रहण की अनुमति केवल मूल अर्हता विकासकर्ता निकाय से एनएसक्यूसी के माध्यम से दी जाएगी। अंगीकृत करने वाले निकाय के पास अंगीकृत की गई अर्हता के संबंध में पुरस्कार देने के अधिकारों को किसी अन्य अवार्डिंग

निकाय को हस्तांतरित/प्रतिनियुक्त/आउटसोर्स करने का अधिकार नहीं है, सिवाय उस स्थिति के जब अंगीकृत करने वाले निकाय ने पैराग्राफ़ **7.6** के तहत मूल विकासकर्ता निकाय का दर्जा प्राप्त कर लिया हो।

5.2. क्या अभिग्रहण किया जा सकता है?

5.2.1. अर्हता को अंगीकृत करना निम्नलिखित के लिए एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित अर्हता और मॉडल पाठ्यक्रम तक सीमित होगा:

i. एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताएँ

ii. एनएसक्यूएफ संरेखित स्टैंडअलोन राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस)

iii. एनएसक्यूएफ संरेखित माइक्रो-क्रेडेंशियल

iv. एनएसक्यूएफ संरेखित किसी भी अन्य प्रकार की शिक्षण इकाई

5.3. क्षेत्राधिकार

5.3.1. किसी अंगीकृत करने वाले निकाय द्वारा अपनाई गई अर्हता को लागू करने का भौगोलिक क्षेत्राधिकार मान्यता प्रदान करने के लिए, अर्हता को अंगीकृत करने और मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीवीईटी के बीच हस्ताक्षरित समझौते में उल्लिखित अनुमोदित क्षेत्राधिकार के अनुसार होगा।

5.3.2. यदि, अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाले अंगीकृत करने वाले निकाय राज्य/राज्यों के क्षेत्राधिकार वाले विकासकर्ता निकाय की अर्हता को अंगीकृत करने के लिए आवेदन करता है, तो अभिग्रहणकर्ता निकाय को ऐसी अर्हता को अभिग्रहण के लिए आवेदन के समय अपेक्षित उद्योग सत्यापन और संबंधित मंत्रालय की सहमति प्रस्तुत करनी होगी।

5.4. बहिष्कार

5.4.1. निम्नलिखित को छोड़कर सभी एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताएं अंगीकृत की जा सकती हैं:

i. रक्षा अवार्डिंग निकाय की अर्हताएँ ।

ii. अर्हताएँ जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।

iii. अर्हताएँ जिनमें या तो उत्पाद/प्रक्रिया या दोनों पेटेंट हैं या आई.पी.आर/कॉपी

राइट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

iv. अर्हताएँ जो किसी अवार्डिंग निकाय द्वारा अपने कर्मचारियों के आंतरिक प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से विकसित और कार्यान्वित की जाती हैं।

5.4.2. यदि कोई अवार्डिंग निकाय उपरोक्त पैराग्राफ़ 5.4.1 में उल्लिखित श्रेणियों में आने वाली किसी अर्हता/अर्हताओं को अंगीकृत करना चाहती है, तो ऐसा विकासकर्ता निकाय की सहमति से किया जा सकता है।

6. शर्तें

6.1. शुल्क

6.1.1. अंगीकृत करने वाले निकाय द्वारा अभिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय एनसीवीईटी को प्रति अर्हता 25,000/- रुपये की गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क देय होगा।

6.1.2. क्षमता: अर्हताओं के विकास और संचालन में सिद्ध क्षमता/अर्हता वाले सभी अवार्डिंग निकायों को अभिग्रहण के अधिकार उपलब्ध होंगे। अंगीकृत करने वाले निकाय को प्रशिक्षण, मूल्यांकन और अंगीकृत होने जा रही अर्हताओं से संबंधित पहलुओं के संदर्भ में अपनी क्षमता और अर्हता को अतिरिक्त रूप से स्थापित करना होगा, जैसे कि अनुबंध **I** के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन प्रपत्र में निर्धारित किया गया है।

6.1.3. वैधता: संशोधन अवधि (अर्थात समाप्ति तिथि से **3** महीने पूर्व) के अंतर्गत अर्हता को अभिग्रहण संबंधी विचार नहीं किया जाएगा।

6.1.4. मूल संरचना: दिशानिर्देशों के संदर्भ में अर्हता को अंगीकृत करने से तात्पर्य अर्हता की मूल संरचना में परिवर्तन किए बिना अर्हता को अंगीकृत करने और लागू करने से है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

i. पात्रता मानदंड

ii. एनएसक्यूएफ स्तर

iii. कुल काल्पनिक घंटे

iv. क्रेडिट

v. अर्हता की वैधता

6.2. सामग्री की उपलब्धता: सामग्री की उपलब्धता बताने वाला वचन-पत्र प्रस्तुत करने सहित सभी निर्धारित मानदंडों की पूर्ति, तथा अर्हता को अंगीकृत करने के लिए आवेदन की सफल समीक्षा के बाद, अंगीकृत करने वाले निकाय को संबंधित अर्हता के लिए अभिग्रहण के अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

6.3. यदि आवेदन के समय अपेक्षित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो सामग्री के विकास के लिए 90 दिनों का समय देते हुए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। इसके बाद, अंगीकृत करने वाले निकाय को एलओआई जारी होने के 90 दिनों के भीतर उक्त अर्हता/अर्हताओं के लिए सामग्री की उपलब्धता बताते हुए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

6.4. यदि अभिग्रहणकर्ता निकाय 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है, तो जारी किया गया आशय पत्र अवैध माना जाएगा।

6.5. यदि वांछित हो तो अंगीकृत करने वाले निकाय को अपेक्षित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने और प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के बाद उसी अर्हता/अर्हताओं को अभिग्रहण के लिए पुनः आवेदन करना होगा। एनसीवीईटी उस अर्हता की सामग्री की यादृच्छिक समीक्षा कर सकता है जिसके लिए अभिग्रहण के अधिकार दिए गए हैं। सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में, अभिग्रहण के अधिकार रद्द किए जा सकते हैं।

## 7.	प्रचालन तंत्र

7.1.	अभिग्रहण की प्रक्रिया: अभिग्रहण की प्रक्रिया नीचे बताई गई है:

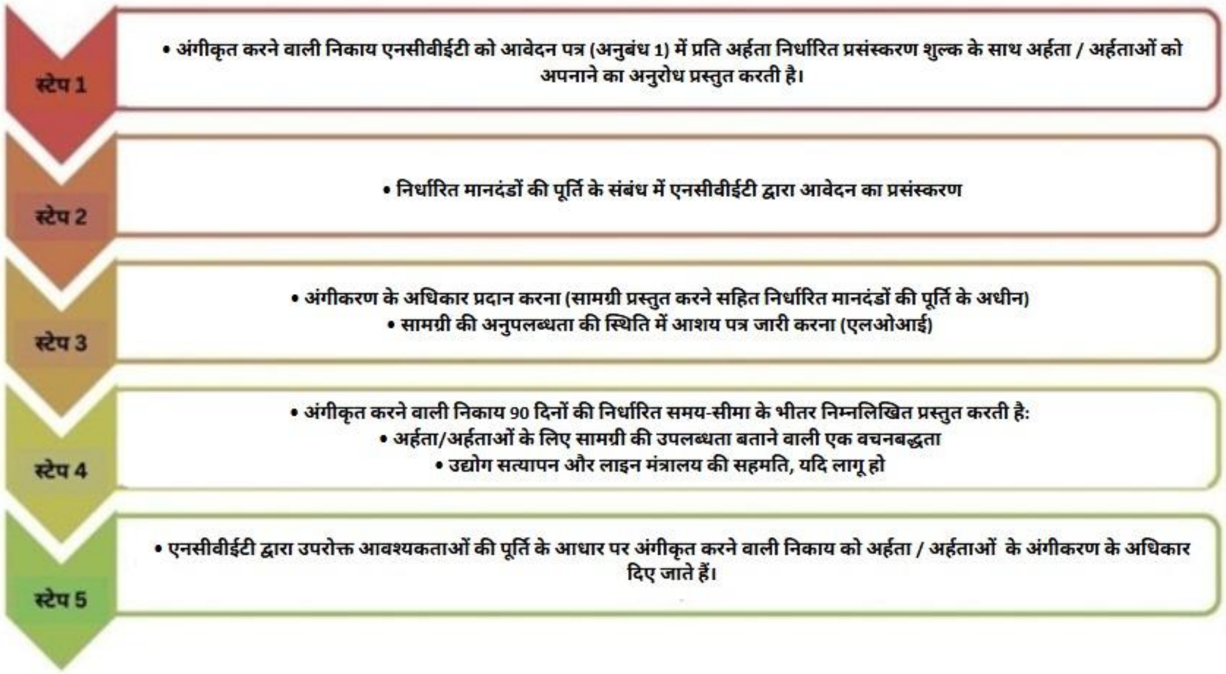

7.2. समयसीमा:

क. एनसीवीईटी पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन की जांच पूरी करेगा, जिसके परिणामस्वरूप या तो एलओआई पत्र जारी किया जाएगा या अंगीकृत करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. उपरोक्त समय-सीमा प्रसंस्करण शुल्क सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के बाद ही शुरू होगी।

7.3.	**अर्हता अभिग्रहण के लिए आवेदन की आवधिकता**

क. अर्हता/अर्हताओं को अभिग्रहण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की कुशल और समय पर जांच की सुविधा के लिए, अवार्डिंग निकाय एक समय में अधिकतम 15 अर्हताओं के लिए आवेदन कर सकती है।

ख. अवार्डिंग निकाय द्वारा अभिग्रहण के लिए किसी भी अनुरोध को प्रस्तुत करने के लिए समय अंतराल अभिग्रहण के लिए पिछले आवेदन की तारीख से न्यूनतम 30

दिन का होगा।

ग. अवार्डिंग निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिग्रहण के आवेदन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और साथ ही प्रसंस्करण शुल्क जमा करने का साक्ष्य भी होना चाहिए।

ङ. आवेदन जमा करने की तारीख उस तारीख से लागू होगी जब एनसीवीईटी को प्रसंस्करण शुल्क के साथ पूरा आवेदन प्राप्त होगा।

7.4. लचीलापन

7.4.1. अभिग्रहण **के दौरान लचीलेपन की अनुमति देना:** अर्हताओं को अभिग्रहण के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक के रूप में 'लचीलेपन' को ध्यान में रखते हुए, अभिग्रहण के दौरान स्थानीय या नौकरी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए कुछ संशोधनों को नीचे सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार अनुमति दी जाती है:

क. **अर्हता में 20% तक का समग्र संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।**

ख. इस तरह संशोधन रोजगार अर्हता कौशल के अलावा अर्हता के किसी भी घटक (एनओएस, मॉड्यूल, तत्व, आदि) में किया जा सकता है।

ग. एक बार नया ईएस फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, तो रोजगार अर्हता कौशल को अंगीकृत करने वाले निकाय द्वारा अवधि को समान रखते हुए आवश्यकतानुसार चुना जा सकेगा।

घ. अर्हता के कुल काल्पनिक घंटे समान रहेंगे अर्थात अर्हता की अवधि और क्रेडिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ङ. यदि अर्हता में अपेक्षित परिवर्तन 20% से अधिक है, तो अंगीकृत करने वाले निकाय एक नई अर्हता/स्टैंडअलोन एनओएस या एमसी ला सकता है।

च. प्रशिक्षण वितरण, मूल्यांकन मानदंड, प्रशिक्षण और मूल्यांकन उपकरण आदि में अंगीकृत करने वाले निकाय द्वारा किए गए और एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित किसी भी संशोधन को अच्छी तरह से दर्ज किया जाएगा और एलओआई जारी करने के 90 दिनों के भीतर एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया जाएगा।

7.5. वैधता और संशोधन

7.5.1. अभिग्रहण की वैधता एनसीवीईटी द्वारा अभिग्रहण के अधिकार के अनुमोदन की तिथि से शुरू होकर मूल रूप से अनुमोदित अर्हता में उल्लिखित 'नियोजित समीक्षा की तिथि' तक होगी। अभिग्रहण की वैधता एनएसक्यूएफ द्वारा अनुमोदित अंगीकृत की गई अर्हता/किसी भी विस्तार की वैधता के साथ समवर्ती है।

7.5.2. यदि विकासकर्ता निकाय अर्हता में संशोधन करना चाहता है तो उसे समाप्ति तिथि से 4 महीने पहले एनसीवीईटी को सूचित करना होगा और तदनुसार ऐसी अर्हताओं के संशोधित संस्करण का पूरा विवरण समाप्ति तिथि से 3 महीने पहले प्रस्तुत करना होगा। विकासकर्ता निकाय द्वारा संशोधन अभ्यास, यहाँ सभी अंगीकृत करने वाले निकाय के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी। अंगीकृत करने वाले निकाय को एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर संशोधित अर्हता में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

7.5.3. यदि विकासकर्ता निकाय पैराग्राफ़ 7.5.2 में उल्लिखित समय पर संशोधन नहीं करता है, तो एनसीवीईटी सभी संबंधित अंगीकृत करने वाले निकाय को अर्हता/अर्हताओं को संशोधित करने में रुचि प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेगा। यदि एक से अधिक अंगीकृत करने वाले निकाय अर्हता को संशोधित करने में रुचि व्यक्त करते हैं, तो एनसीवीईटी इस मामले पर निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होगा।

7.5.4. अवार्डिंग निकाय, जो संशोधन के लिए अर्हता लाती है, को विकासकर्ता निकाय का दर्जा दिया जाएगा।

7.5.5. यदि, विकासकर्ता निकाय या अभिग्रहणकर्ता निकाय निर्धारित समय-सीमा के भीतर संशोधन के लिए अर्हता प्रस्तुत नहीं करता है, तो अर्हता समाप्त मानी जाएगी और इसलिए उसे संग्रहीत कर लिया जाएगा।

7.5.6. जिस अवधि के लिए कोई अर्हता वैध है, उस अवधि के दौरान अर्हता में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, सिवाय उन विशेष मामलों के जहां कोई असाधारण और अभूतपूर्व आवश्यकता हो जैसे कि प्रमुख तकनीकी या नीतिगत परिवर्तन। ऐसे मामलों में, संशोधन की इच्छा रखने वाली निकाय तर्कसंगत औचित्य के साथ एनसीवीईटी को

औपचारिक प्रतिनिधित्व करेगा।

7.5.7. किसी अर्हता के संशोधन के लिए विकासकर्ता निकाय के साथ-साथ सभी अंगीकृत करने वाली निकाय से परामर्श करना आवश्यक होगा।

7.6. विशेष परिस्थितियाँ: संग्रहीत/वापसी/मान्यता रद्द करना/समर्पण

7.6.1. संग्रहीत अर्हताएँ : यदि कोई अवार्डिंग निकाय किसी संग्रहीत अर्हता को अंगीकृत करना चाहता है जिसे किसी अनुपालन मुद्दे के कारण संग्रहीत किया गया है, लेकिन उसमें अपेक्षित वैधता है, तो वह इन दिशानिर्देशों में परिभाषित मानदंडों के अनुसार ऐसा कर सकता है। हालाँकि, वैधता की समाप्ति या विकासकर्ता निकाय द्वारा वापस लेने या विकासकर्ता निकाय की मान्यता रद्द करने जैसे अभिलेखीय के अन्य सभी मामलों के लिए, इसे केवल तर्कसंगत औचित्य के साथ एक नई अर्हता के रूप में लाया जा सकता है।

7.6.2. पुरस्कार देने के अधिकारों का समर्पण: अभिग्रहण करने वाला कोई भी निकाय अंगीकृत अर्हताअर्हताओं के संबंध में अपने पुरस्कार प्रदान करने के अधिकार को छोड़ने के / लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, वह उन शिक्षार्थियों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य हितधारकों को ऐसे समर्पण के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है। इस तरह के निर्णय को एनसीवीईटी और विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय दोनों को विधिवत रूप से प्रभावी तिथि और उस अर्हता के संबंध में शिक्षार्थियों के हितों की रक्षा करने के तरीके को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। एनसीवीईटी यह सत्यापित करेगी कि उस अर्हता के संबंध में प्रशिक्षुओं के हितों की रक्षा की गई है और ऐसे शिक्षार्थियों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य हितधारकों को ऐसे समर्पण के बारे में सटीक जानकारी प्रदान की गई है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

7.7. एन.क्यू.आर पर चिंतन

7.7.1 अन्य अवार्डिंग निकाय द्वारा अपनाई गई अर्हताओं की जानकारी एनक्यूआर पर दर्शाई जाएगी, ताकि शिक्षार्थी विभिन्न अवार्डिंग निकाय द्वारा दी जाने वाली अर्हता का चयन करते समय सूचित विकल्प बना सकें।

7.7.2 एनसीवीईटी सभी अनुमोदित अर्हताओं को एक अद्‌वितीय कोड प्रदान करता है। इस तरह के कोड में दो और कोड होते हैं यानी स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक कोड अर्हता के प्रकार, एनएसक्यूएफ स्तर, सेक्टर और अर्हता की क्रम संख्या को दर्शाता है जबकि डायनेमिक कोड अनुमोदन के वर्ष, संस्करण और अवार्डिंग निकाय के नाम को दर्शाता है। किसी अर्हता को अंगीकृत करने के मामले में स्टैटिक कोड वही रहेगा डायनेमिक कोड में केवल अवार्डिंग निकाय का नाम अंगीकृत करने वाली निकाय के अनुसार बदल जाएगा। उदाहरण के लिए: 2022 में एक्स विकासकर्ता निकाय द्‌वारा विकसित अर्हता के कोड **क्यूजी-04-ए.ए-00001-2022-वी1-एक्स** पर विचार करें। यदि वाई नाम की कोई अन्य अवार्डिंग निकाय 2023 में उसी अर्हता को अंगीकृत करती है, तो केवल अवार्डिंग निकाय का नाम बदलेगा और अंगीकृत की गई अर्हता का कोड होगा - **क्यूजी-04-एए-00001-2022-वी1-वाई**, वाई अंगीकृत करने वाली निकाय है।

7.7.3 जैसा कि ऊपर बताया गया है, अर्हता का समग्र कोड वर्ष और अवार्डिंग निकाय के नाम के घटक को छोड़कर समान रहेगा, जिसे ड्रॉपडाउन मेनू के प्रावधान के साथ एनक्यूआर में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाएगा।

7.8. टीओटी/टीओए

7.8.1. एक बार अर्हता अंगीकृत किए जाने के बाद, अभिग्रहणकर्ता निकाय विकासकर्ता निकाय के साथ-साथ अंगीकृत की जा रही अर्हता के लिए प्रशिक्षण अधिकार, मूल्यांकन अधिकार, प्रमाणन अधिकार और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण (टीओए) आयोजित करने की जिम्मेदारी भी हासिल कर लेगा। हालाँकि, ऐसे अधिकार अंगीकृत करने वाले निकाय के अधिकार क्षेत्र के अनुसार और ऐसे अंगीकृत करने के अधिकार प्रदान करने वाले एनसीवीईटी द्‌वारा जारी किए गए एलओआई /आदेश के प्रावधानों के अनुसार प्रयोग योग्य होंगे।

7.8.2. यदि अभिग्रहणकर्ता निकाय विकासकर्ता निकाय के माध्यम से टीओटी/टीओए को क्रियान्वित करने का इच्छुक है, तो वह आपसी व्यवस्था के माध्यम से ऐसा कर सकता है।

7.9. शिक्षण और अभिग्रहण की सामग्री/संसाधन

7.9.1. अर्हता की अभिग्रहण सामग्री/संसाधन एनसीवीईटी द्वारा एलओआई पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभिग्रहण अधिकार प्रदान करने वाला अंतिम आदेश तभी जारी किया जाएगा जब अंगीकृत करने वाली निकाय ने अभिग्रहण संसाधनों की तत्काल उपलब्धता के बारे में सफलतापूर्वक वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी हो।

7.9.2. यदि अभिग्रहणकर्ता निकाय 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो जारी किया गया आशय पत्र अमान्य माना जाएगा। अंगीकृत करने वाले निकाय को, यदि वांछित हो, तो अपेक्षित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने और नया आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, उसी अर्हता/अर्हताओं को अभिग्रहण के लिए पुनः आवेदन करना होगा।

7.9.3. उच्च शिक्षा संस्थानों, स्कूल बोर्डों और इसी तरह की प्रकृति के संस्थानों के कुछ मामलों में जहां शैक्षणिक सत्र प्रणाली का पालन किया जाता है और एक स्पष्ट रूप से निर्धारित और गुणवत्ता-आश्वासन वाली सामग्री विकास प्रक्रिया है, एनसीवीईटी द्वारा एलओआई जारी करने की तारीख से अर्हता की सीखने की सामग्री/संसाधनों को जमा करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, अर्हता के अंगीकृत करने के अधिकार देने वाला अंतिम आदेश केवल तभी जारी किया जाएगा जब अंगीकृत करने वाले निकाय ने सीखने के संसाधनों की तत्काल उपलब्धता बताते हुए सफलतापूर्वक अंडरटेकिंग प्रस्तुत की हो।

7.9.4. अभिग्रहण सामग्री में शिक्षार्थी पुस्तिका, प्रशिक्षक पुस्तिका और एनसीवीईटी द्वारा तय कोई अन्य सामग्री दस्तावेज़ शामिल होगा। ऐसे दस्तावेज़ को अंग्रेजी और हिंदी या भारतीय भाषा में विकसित किया जाना चाहिए, जैसा भी लागू हो।

7.9.5. सामग्री के विकास की जिम्मेदारी अंगीकृत करने वाली निकाय की है। अंगीकृत करने वाली निकाय आपसी व्यवस्था के माध्यम से विकासकर्ता निकाय से सामग्री विकसित या खरीद सकता है।

8. एनसीवीईटी द्वारा निगरानी

8.1. एनसीवीईटी 'अवार्डिंग निकाय की मान्यता और विनियमन के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देश और प्रचालन मैनुअल' में निर्धारित मापदंडों के अनुसार वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा करेगा।

टिप्पणी: ये दिशानिर्देश इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से पहले एनएसक्यूसी/एनसीवीईटी /पूर्ववर्ती एनएसडीए द्वारा जारी किए गए सभी अभिग्रहण आदेशों/अधिसूचनाओं का स्थान लेंगे। ये दिशानिर्देश प्रकृति में डायनेमिक हैं और इसलिए कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की उभरती हुई ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन/अद्यतन के अधीन हैं। तदनुसार, एनसीवीईटी अनुपालन के लिए लागू होने पर इस अभिग्रहण दिशानिर्देशों को संशोधित/अद्यतन/परिवर्तन कर सकता है।

****

अनुबंध I

(पैराग्राफ़ 6.1.2 को संदर्भित करता है)

<u>अर्हता अभिग्रहण के लिए अनुरोध प्रपत्र</u>

1. अभिग्रहीत की जा रही अर्हता का नाम

2. अभिग्रहण करने वाले निकाय का नाम

3. नोडल अधिकारी
   क. नाम
   ख. संपर्क विवरण
   ग. अर्हता विवरण

क. विकासकर्ता निकाय	
ख. मूल अनुमोदन तिथि	
ग. सेक्टर	
घ. अर्हता कोड	
ड.. वैधता तिथि	
च. एनएसक्यूएफ स्तर	
छ. प्रवेश अपेक्षाएं	
ज. अवधि	
झ. प्रगति	

4. अभिग्रहण के प्राथमिक उद्देश्य

   क. नया कौशल

   ख. आर.पी.एल

   ग. दिव्यांगजनों का कौशल

   घ. सामान्य शिक्षा के तहत कार्यान्वयन

i. स्कूल शिक्षा

ii. उच्च शिक्षा (कृपया निर्दिष्ट करें)

च. कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

5. अर्हताओं के अभिग्रहण का औचित्य

6. समान क्षेत्र और समान व्यवसायों में अर्हताएं

क्र.सं.	अर्हता नाम	क्षेत्र	पेशा	प्रशिक्षण वर्षवार	उपलब्ध प्रशिक्षक	उपलब्ध संपर्क (विवरण)	प्रश्न बैंक विवरण	उपलब्ध मूल्यांकन एजेंसियां	प्रशिक्षण केंद्र (स्थानवार सूची)

7. अभिग्रहण की गई अर्हता में प्रस्तावित संशोधन (यदि कोई हो):

क. मौजूदा एनओएस

	एनओएस नाम और कोड	अवधि	प्रस्तावित संशोधन	नई अवधि	संशोधन का कारण /जोड़
मौजूदा एनओएस					
1					
2					
नये प्रस्तावित एनओएस (यदि कोई हो)			लागू नहीं	लागू नहीं	

1					
2					
कुल					

8. प्रस्तावित कार्यान्वयन योजना:

   क. वर्षवार नियोजित कुल प्रशिक्षण

   ख. लक्षित भूगोल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या जिले) संख्याओं सहित

   ग. टीओटी

   घ. टीओए

9. आवेदन के समय सामग्री की उपलब्धता

   i. हां, कृपया इस संबंध में अभिग्रहण करने वाले निकाय द्वारा लिखित वचनबद्धता संलग्न करें

   ii. नहीं

10. उद्योग सहभागिता: क्षेत्र/व्यवसाय में उद्योग निकायों की सूची

उद्योग का नाम	एसोसिएशन का प्रकार

11. प्रक्रिया शुल्क: दिशानिर्देश के अनुसार एनसीवीईटी को प्रक्रिया शुल्क जमा करने का विवरण

12. प्रशिक्षण और/या मूल्यांकन पद्धति, प्रशिक्षण और/या मूल्यांकन वितरण उपकरण आदि में कोई परिवर्तन। यदि हाँ, तो कृपया प्रस्तावित परिवर्तनों का

उल्लेख करें।

13. अर्हता के अनुसार आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता का विवरण

क) प्रमाणित प्रशिक्षक

ख) प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता

ग) अपेक्षित उपकरण और उपकरणों के साथ प्रशिक्षण केंद्र

घ) पोर्टल/इंजन सहित आई.टी अवसंरचना

ङ) अन्य